Annexure-V
(2) Lab. Asst.

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2019

सा.का. नि. 248.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (वैज्ञानिक सहायक और प्रयोगशाला सहायक-वर्ग ग पद) भर्ती नियम-2008, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दुरस्थ इकाइयों में प्रयोगशाला सहायक - समूह ग के पदों पर भर्ती की पद्धति विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, प्रयोगशाला सहायक - (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2019 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनूसूची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसुची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति -
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या,
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला सहायक	07* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर. 5 (29200-92300 रु)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रिय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशो या अनुदेशो के अनुसार सरकारी सेवको के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)

					टिप्पण- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- **शैक्षिक अर्हता :** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान स्नातक डिग्री स्तर पर नीचे दिए गए विषयों में से एक विषय होना चाहिएः भौतिकी या गणित या वनस्पति विज्ञान या जन्तु विज्ञान या सूक्ष्म जैव विज्ञान या जैव प्रोद्योगिकी या भौतिक मानव विज्ञान या आनुवंशिक विज्ञान या रसायन या जैव रसायन शास्त्र या औषध विज्ञान या फार्मेसी **टिप्पण-**अर्हताएं या अन्यथा सुअर्दित अभ्यर्थीयो की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष सीधी भर्ती के लिए	सीधी भर्ती द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन